न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—314/2025/223 आर.टी.एक्ट (2025/314)

1. कोयली पत्नि देवा आयु 60 वर्ष
2. गोमा पुत्र देवा आयु 40 वर्ष
3. मंगलराम पुत्र देवा आयु 38 वर्ष
4. सुवा पुत्र देवा आयु 36 वर्ष
5. हरि पुत्र देवा आयु 34 वर्ष समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. रमती पत्नि काना
2. शिवराज पुत्र काना
3. थैली पत्नि काना समस्त जातिगण गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2025 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद राजस्व वाद संख्या 82/2022.

उपस्थितः—

1. श्री सीताराम रावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री ओमप्रकाश गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 4
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—17.12.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 82/2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2025 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद के समक्ष रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3/वादीगण ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे व राजकीय पैरोकार ने जवाब पेश किया। प्रकरण में कोई खण्डन नहीं होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। अधिवक्ता वादीगण ने राजस्व अभिलेख पेश किए व प्रकरण में साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गई। ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 309/296 रकबा

1.79 है0 की आराजी पर वादीगण का वाद स्वीकार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 82/2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2025 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 3 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद संख्या 82/2022 में अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 22.09.2022 को एक तरफा कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2025 को पारित की गई में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार से कोई सूचना तामील नहीं हुई तथा अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 18.03.2025 को पटवार हल्के से बंटवारे की सूचना से प्राप्त हुई जबकि दावाकृत जमीन रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के पूर्वज देवा द्वारा अपीलांटगण द्वारा बैचान कर दी गई का वर्किंग जमाबंदी में नामांतरण दर्ज किया गया को गलत रूप से वर्तमान राजस्व रेकार्ड में हटा दिया गया की त्रुटिपूर्ण प्रविष्ठी के आधार पर बंटवारे की प्राथमिक डिक्री पारित कराई गई की जानकारी होते ही अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.09.2022 को एक तरफा कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2025 को पारित की गई में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार से कोई सूचना तामील नहीं हुई तथा अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 18.03.2025 को पटवार हल्के से होने पर दिनांक 22.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 18.06.2025 को स्वीकार किया गया के पश्चात अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है तथा बिना अपीलांटगण को जवाब व साक्ष्य की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 18.02.2025 को पारित की गई जो निरस्त होने योग्य है तथा जानकारी होते ही अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

हम प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं, ऐसी स्थिति में अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

आर0बी0जे (13)2006

INDIAN LIMITATION ACT, 1963- **section 5- When substantial question of law involved in appeal, delay condoned.**

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 22.09.2022 को एक तरफा कार्यवाही की जाकर एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री दिनांक 18.02.2025 को पारित की गई में अपीलार्थीगण को किसी प्रकार से कोई सूचना तामिल नहीं हुई तथा अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करते हुए उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की गई जिसकी जानकारी अपीलार्थी को दिनांक 18.03.2025 को पटवार हल्के से होने पर दिनांक 22.04.2025 को एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 18.06.2025 को स्वीकार किया गया के पश्चात अविलंब अपील प्रस्तुत की गई है तथा बिना अपीलांटगण को जवाब व साक्ष्य की सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय डिक्री दिनांक 18.02.2025 को पारित की गई जो निरस्त किए जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में एक पक्षीय निर्णय/डिक्री दिनांक 18.02.2025 को अपीलार्थी के विरूद्ध पारित की गई व बिना साक्ष्य सुनवाई एवं बिना पैरवी के पारित की गई जिसमें कानूनन अपीलार्थी को पैरवी करने एवं प्रकरण का गुण अवगुण पर निस्तारण किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे अपीलार्थी को वाद पत्र जवाब प्रस्तुत कर साक्ष्य प्रस्तुत कर सके के लिए एकपक्षीय निर्णय/डिक्री अपास्थ किया जावे। दावाकृत भूमि का रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5 के पिता/पति देवा पुत्र धीरा से दिनांक 18.08.1988 को क्रय कर ली गई एवं रजिस्ट्री कराई गई का वर्किंग जमाबंदी में नामांतरकरण भी किया गया किंतु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नामांतरण को गलत रूप से हटाने से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 के नाम गलत दर्ज होने से त्रुटिपूर्ण हिस्से होने पर भी प्राथमिक डिक्री बंटवारे हेतु पारित कर दी गई। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत पारित की गई। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 82/2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2025 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि ग्राम दिलवाडी के खाता संख्या 309/296 किता 10 रकबा 1.79 की आराजी में वादीगण का 1/9 हिस्सा तथा प्रत्येक प्रतिवादी संख्या 1 से 5 का 2/5 हिस्सा निहित है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नहीं हुआ है। प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी कर रहे है। आराजी मुतनाजा को अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेंट/वादी द्वारा वादपत्र अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध अपीलांट/प्रतिवादी प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में एकपक्षीय बहस पर मनन करते हुए रेस्पोडेंट/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को दिनांक 18.02.2025 को स्वीकार किया जाकर प्रकरण में निर्णय व प्राथमिक डिक्री पारित की गई। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2072–2075 ग्राम दिलवाडी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के खसरा संख्या 1220, 1221, 1226, 1235, 1245, 1248, 1249, 1250, 1253, 1254 कुल किता 10 कुल रकबा 1.7900 के अपीलांट संख्या 1 लगायत 5, 2/15 व रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3, 1/9 अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार खातेदार/काश्तकार हैं। राजस्व दस्तावेज से स्पष्ट है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट विवादित आराजीयात के सहखातेदार/काश्तकार हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादी/रेस्पोडेंट द्वारा उक्त आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर बंटवारा किए जाने व राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाता कायम किए जाने बाबत अनुतोष चाहा गया था।

अपीलांट द्वारा दिनांक 18.08.1988 का पंजीबद्ध/रजिस्टर्ड दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पिता/पति द्वारा उक्त आराजीयात का बैचान अपीलांटगण के पिता/पति को किया गया है। परंतु उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अभिलेख पर नहीं लिया जा सकता चूंकि अपीलांट द्वारा उक्त विक्रय पत्र को बिना प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 प्रस्तुत किए ही प्रस्तुत किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दिनांक 16.06.2022 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट को बिना विधिवत रूप से नोटिस तामील हुए ही नोटिसों को तामील मानकर अपनी आदेशिका दिनांक 22.09.2022 की प्रोसिडिंग में अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाए जाने के आदेश पारित किए गए। जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि एक रिकार्डेड खातेदार/काश्तकार को बंटवारे के वाद में साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित की गई है जिसमें अपीलांट/प्रतिवादी को साक्ष्य, सुनवाई व पैरवी किए जाने का

समुचित अवसर ही प्रदान नहीं किया गया जिससे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादपत्र का खण्डन नहीं होने से प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं की जा सकी, जिससे उक्त प्रकरण का निस्तारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गुणावगुण पर नहीं हो सका तथा प्रतिवादी/अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखने से वंचित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री नैसर्गिक न्याय सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.02.2025 में त्रुटि कारित हुई है, अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जाकर उक्त प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 82/2022 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.02.2025 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि दावे व जवाब दावे के आधार पर प्रकरण में तनकीयां निर्मित कर तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय व डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.01.2026 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 17.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर